

अल्ताफ बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ (विकास बहल, जे.)

समक्ष विकास बहल जे.

अल्ताफ़-याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़-प्रतिवादी

2022 का सी आर आर नंबर 2442

07 दिसम्बर 2022

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015-धारा 12-भारतीय दंड संहिता, 1860-एस। 419, 420, 467, 468, 471, 384 और 120-बी। धारा 12 के तहत जमानत केवल उस स्थिति में नियम है जब मामला अपवादों के तहत आता है, जैसा कि धारा में उल्लेख किया गया है, जमानत से इनकार किया जा सकता है-सामाजिक जांच रिपोर्ट में कोई अवलोकन अपवादों को लागू नहीं करता है-जमानत दी जाती है।

अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 12 के अधीन आवेदन में जमानत नियम है और केवल उस दशा में जब अपीलार्थी अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित अपवादों में से किसी एक के अधीन आता है, जमानत आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है। (पैरा 12)

आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि रिपोर्ट में इस आशय का कोई अवलोकन नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ जाएगा या उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगा या याचिकाकर्ता की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी, बल्कि, रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता पहले ही 11 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और 12 वीं कक्षा में शामिल होने का इच्छुक है और उसका रवैया अनुकूल है और 28.09.2022 के आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि पैराग्राफ 6 में, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता घटना के समय एक किशोर था और एक मेधावी छात्र है और बोर्ड का इरादा उसे कुछ समय के लिए हिरासत में रखना था। (पैरा 13)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद अरशद।

आकाशदीप सिंह, एडिशनल पीपी यूटी चंडीगढ़।

विकास बहल, जे. (मौखिक)

(1) वर्तमान आपराधिक संशोधन में चुनौती दिनांक 28.09.2022 के आदेश के लिए है, जिसके लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत दायर एक आवेदन है।

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

पुलिस स्टेशन साइबर क्राइम, जिला चंडीगढ़ में भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 419, 420, 384 और 120-बी (आई पी सी की धारा 467, 468, 471 को बाद में जोड़ा गया है) के तहत दर्ज प्राथमिकी संख्या 21 दिनांक 17.08.2022 में जमानत की मंजूरी को खारिज कर दिया गया है।

(2) दिनांक 15.10.2022 के आदेश को भी चुनौती दी गई है, जिसके अनुसार, उपरोक्त आदेश दिनांक 28.09.2022 के खिलाफ दायर अपील को भी खारिज कर दिया गया है।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को उपरोक्त मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और वह 20.08.2022 से हिरासत में है और जांच पूरी हो गई है और चालान प्रस्तुत किया गया है और 20 अभियोजन गवाह हैं, जिनमें से किसी की भी अभी तक जांच नहीं की गई है और इस प्रकार, मुकदमे के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है और याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि दिनांक 28.09.2022 के आदेश के अवलोकन से भी पता चलेगा कि पीएमजेजेबी, चंडीगढ़ ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करते हुए दर्ज किया था कि वर्तमान याचिकाकर्ता एक मेधावी छात्र है और बोर्ड का मानना है कि-कम से कम कुछ समय के लिए उसे निगरानी गृह में रखने की आवश्यकता है। यह तर्क दिया जाता है कि 28.09.2022 के बाद भी, दो महीने से अधिक की अवधि बीत चुकी है और इस प्रकार, याचिकाकर्ता जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह आगे तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं था और वर्तमान याचिकाकर्ता को कथित अपराध से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है, हालांकि, वर्तमान याचिकाकर्ता से तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा इस आशय की कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है कि उक्त तीन मोबाइल फोन का उपयोग उनसे धन उगाही के लिए किया गया था, हालांकि, वर्तमान मामले में 197 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। यह तर्क दिया जाता है कि याचिकाकर्ता को सह-अभियुक्त के प्रकटीकरण बयान के आधार पर फंसाया जाना चाहिए। यह भी तर्क दिया जाता है कि इस तथ्य के अलावा कि याचिकाकर्ता के पास गुण-दोष पर एक अच्छा मामला है, यहां तक कि राज्य द्वारा जवाब के साथ दायर सामाजिक जांच रिपोर्ट (अनुलग्नक आर-2) के अवलोकन से यह पता चलेगा कि यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने 11वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और वह खुद को 12वीं कक्षा में नामांकित करना चाहता है और यहां तक कि याचिकाकर्ता का रवैया भी अनुकूल है और यह कहा गया है कि उक्त रिपोर्ट के खंड 39 और 40 में कहा गया है कि बच्चे के किसी गिरोह में होने के संबंध में प्रश्न उठाया गया है आदि। मादक द्रव्यों की बिक्री के लिए, उत्तर नकारात्मक है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक याचिकाकर्ता के मामले का संबंध है, उसने कहा है कि वह हरियाणा का निवासी है जो अपनी बहन से मिलने गया था लेकिन उसे पकड़ लिया गया था। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी तर्क दिया है कि उक्त का एक अवलोकन

अल्ताफ बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़

(विकास बहल, जे.)

रिपोर्ट से पता चलेगा कि धारा 12 में उल्लिखित अपवादों में से कोई भी वर्तमान मामले में दूर से नहीं बनाया गया है और वर्तमान याचिकाकर्ता का किसी अन्य अभियुक्त व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है, क्योंकि 16 अभियुक्त व्यक्तियों में से 15 व्यक्ति राजस्थान के निवासी हैं जबकि वर्तमान याचिकाकर्ता हरियाणा का निवासी है।

(4) दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने वर्तमान आपराधिक संशोधन का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, एक बहुत ही गंभीर अपराध किया गया है क्योंकि लोगों के एक गिरोह द्वारा सेक्सटॉर्शननिस्ट का एक रैकेट चलाया जा रहा है, क्योंकि पूरे देश में 197 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और पुलिस उचित परिश्रम के साथ जांच कर रही है। हालाँकि, यह विवादित नहीं है कि पूरे देश में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा की गई 197 शिकायतें वर्तमान याचिकाकर्ता से बरामद मोबाइल फोन से संबंधित नहीं हैं।

(5) इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और कागजी पुस्तक का अवलोकन किया है।

(6) वर्तमान मामले के तथ्यों पर ध्यान देने से पहले, 2015 के अधिनियम की धारा 12 पर ध्यान देना प्रासंगिक होगा और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

जब कोई व्यक्ति, जो प्रत्यक्षतः बालक है और जिस पर जमानतीय या अजमानतीय अपराध करने का आरोप है, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है या निरुद्ध किया जाता है या किसी बोर्ड के समक्ष उपस्थित किया जाता है या लाया जाता है, तो ऐसा व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, मुचलके के साथ या उसके बिना जमानत पर रिहा किया जाएगा या परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में या किसी योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखा जाएगा: बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार रिहा नहीं किया जाएगा यदि यह विश्वास करने के लिए उचित आधार दिखाई देते हैं कि रिहाई से उस व्यक्ति को किसी ज्ञात अपराधी के साथ जोड़ा जा सकता है या उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाला जा सकता है या व्यक्ति की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी, और बोर्ड जमानत से इनकार करने के कारणों को दर्ज करेगा और

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

परिस्थितियाँ जो इस तरह के निर्णय का कारण बनीं।

(7) अधिनियम की उपर्युक्त धारा 12 के अवलोकन से यह पता चलेगा कि जमानत एक नियम है और एक किशोर के मामले में जेल नहीं है और इसे केवल उस स्थिति में अस्वीकार किया जाना है जब न्यायालय उसके समक्ष सामग्री के आधार पर निष्कर्ष पर आता है, कि मामला अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित तीन अपवादों के तहत आता है।

(8) गुरकिरत @गोरा बनाम हरियाणा राज्य में पारित सीआरआर-1019-2020 में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:—

“इस पुनरीक्षण याचिका में अनुरोध दिनांक 31.05.2020 को विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश के साथ-साथ अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2020 को पारित आदेश को स्थापित करने के लिए है, जिसमें याचिकाकर्ता का नियमित जमानत आवेदन दिनांक 14.03.2020 को भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में 'आईपीसी') की धारा 34 और 506 के साथ पठित धारा 302, 323, 341 के तहत दर्ज किया गया था।

मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एफआईआर लखविंदर सिंह द्वारा दी गई शिकायत पर दर्ज की गई थी कि वह मजदूरी का काम कर रहा है और उसके दो बच्चे हैं। उसका बेटा अस्पी @हैप्पी भी शिकायतकर्ता के साथ मजदूरी का काम कर रहा था। करीब 1 साल पहले, याचिकाकर्ता के पिता बलविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता के बेटे पर आरोप लगाया था कि उसने उसकी भतीजी को छेड़ा था और उसके बाद, एक पंचायत बुलाई गई थी और मामले से समझौता किया गया था, लेकिन आरोपी को उसके बेटे अस्पी @हैप्पी के खिलाफ शिकायत थी। 13.03.2020 को लगभग 07:00 बजे, उसका बेटा अस्पी @हैप्पी अपनी मां हरविंदर कौर और शिकायतकर्ता के भतीजे गुरप्रीत सिंह के साथ नंबर एचआर-05-बीसी - 8967 के पंजीकरण वाली मोटरसाइकिल पर हरविंदर कौर के लिए दवा लेने गया था और जब वे सांभी मोड़ पर पहुंचे, तो कुलविंदर सिंह, गुरकिरत @गोरा (वर्तमान याचिकाकर्ता) ने दो अन्य व्यक्तियों करनैल सिंह और बलकार सिंह के साथ उन्हें रोक दिया और उसके बाद, बलकार सिंह, जिसके हाथ में बिंदा था, ने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती पर उसी का प्रहार किया। फिर, कुलविंदर सिंह ने शिकायतकर्ता के बेटे की पीठ पर एक और बिंदा प्रहार किया, करनैल सिंह ने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती पर बिंदा प्रहार किया और याचिकाकर्ता-गुरकिरत उर्फ गोरा ने शिकायतकर्ता के बेटे की छाती और पीठ पर लोहे का पाइप प्रहार किया।

अल्ताफ बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़

(विकास बहल, जे.)

शिकायतकर्ता। इसके बाद, सभी हमलावर मौके से भाग गए और घायल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी चिकित्सकीय जांच की गई और बाद में 14.03.2020 को उसकी मौत हो गई।

XXX XXX XXX

याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया है कि 2000 के अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों के अनुसार, विधायिका का इरादा किशोर को अपराध की प्रकृति या गंभीरता के बावजूद जमानत देने का है, जो कथित रूप से उसके द्वारा किया गया है और इसे केवल उन मामलों में अस्वीकार किया जा सकता है जहां यह विश्वास करने के लिए उचित आधार हैं कि किशोर की रिहाई से उसे किसी ज्ञात अपराधी के संघ में लाने या उसे नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डालने की संभावना है या उसकी रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

XXX XXX XXX

जांच अधिकारी के हलफनामे के माध्यम से जवाब रिकॉर्ड में है और जवाब के अनुसार, यह कहा गया है कि सत्यापन पर, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता के साथ-साथ उसके पिता ने भी पीड़ित को चोट पहुंचाई है, जबकि दो व्यक्तियों करनैल सिंह और बलकार सिंह, जिनका नाम प्राथमिकी में है, को निर्दोष पाया गया।

राज्य के वकील ने मृतक की मृत्यु के कारण के बारे में राय दर्ज की है, जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:-
मृत्यु के कारण के बारे में राय इस मामले में 20.10.2020 को पहले ही दी जा चुकी है कि-इस मामले में मृत्यु का कारण चोट और इसकी जटिलताएं हैं। हमारी राय में, यह पॉली-ट्रॉमा का मामला था जिसमें सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और ग्लासगो कोमा स्केल ई1एम 1 वी 1 के साथ शॉक था जैसा कि अस्पताल के रिकॉर्ड में बताया गया था और मृतक के विसरा की ऑटोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल परीक्षा के दौरान देखे गए निष्कर्षों की पुष्टि अस्पताल के रिकॉर्ड से हुई थी। हमारी राय में, चोटों के कारण होने वाली जटिलताओं में एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के बाद कार्डियक अरेस्ट था।

XXX XXX XXX

दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील ने

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

उन्होंने तर्क दिया कि एफआईआर के अनुसार, कुलविंदर सिंह की बेटी को चिढ़ाने के कारण शिकायतकर्ता के परिवार और याचिकाकर्ता के पिता के बीच दुश्मनी है वर्तमान याचिकाकर्ता की बहन-गुरकिरत @गोरा मृतक अस्पी @हैप्पी द्वारा लगभग 01 साल पहले, घटना से पहले और पंचायत में मामले से समझौता किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि याचिकाकर्ता की आयु 17 वर्ष से अधिक है, इसलिए उसे वयस्क माना जाना चाहिए और इसलिए, उसकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

XXX XXX XXX

तदनुसार, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को अनुमति दी गई है, दिनांक 31.05.2020 को विद्वत मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किया गया और साथ ही अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2020 को पारित आदेश को निर्धारित किया गया है और याचिकाकर्ता को निचली अदालत/ड्यूटी मजिस्ट्रेट/इलाखा मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/जमानत बांड के अधीन जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है।

(9) उपर्युक्त मामले के अवलोकन से पता चलेगा कि जहां याचिकाकर्ता (गुरकिरत @गोरा) के खिलाफ आरोप था कि उसने शिकायतकर्ता के बेटे के सीने और पीठ पर लोहे की पाइप से प्रहार किया था, वहां याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

(10) इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने विष्णु बनाम पंजाब राज्य 1 नामक मामले में जमानत मंजूर की, जिसमें आरोप था कि उसमें याचिकाकर्ता ने मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई थी और उसमें याचिकाकर्ता से एक रक्तरंजित लकड़ी की छड़ी बरामद की गई थी। उक्त निर्णय का प्रासंगिक भाग नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

याचिकाकर्ता, जो कानून के साथ संघर्ष में एक बच्चा है, ने अपने पिता के माध्यम से तत्काल याचिका दायर की है, जिसमें दिनांक 15.01.2021 के आदेशों को चुनौती दी गई है, अनुलग्नक पी-2, जिसके तहत किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 12 के तहत जमानत देने के लिए आवेदन (संक्षेप में-अधिनियम) को प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, रोहतक द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और आदेश दिनांक 02.02.2021 को विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित किया गया है।

¹ 2021 (3) आर सी आर (सी आर एल.) 239

अल्ताफ बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़

(विकास बहल, जे.)

उक्त आदेश को खारिज कर दिया गया है।

तथ्य, संक्षेप में, यह है कि राजेंद्र की शिकायत के आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 201, 302, 34 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3 (2) (vi) (संक्षेप में-एससी और एसटी अधिनियम) के तहत प्राथमिकी संख्या. 214 दर्ज की गई थी। जांच के दौरान, याचिकाकर्ता और सह-अभियुक्त को 28.05.2020 को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने अपने प्रकटीकरण बयान में हत्या में अपनी संलिप्तता स्वीकार की थी।

XXX XXX XXX

याचिका का विरोध करते हुए, राज्य के वकील, जिन्हें शिकायतकर्ता के वकील द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, एस. आई. भगत सिंह के निर्देश पर प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ने मृतक के सिर पर चोट पहुंचाई और एक खून से सना लकड़ी की छड़ी के साथ-साथ अपराध में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी याचिकाकर्ता से बरामद की गई है। उनके निर्देशों के अनुसार, चालान 23.07.2020 को प्रस्तुत किया गया है, आरोप 10.03.2021 को तैयार किया गया है और अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए मुकदमा 03.06.2021 के लिए निर्धारित किया गया है, हालांकि अभी तक कोई भी गवाह गवाह बॉक्स में उपस्थित नहीं हुआ है। वह प्रस्तुत करता है कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो उसके अपराधियों के संपर्क में आने की संभावना है। प्रतिवादियों के अनुसार, याचिकाकर्ताओं की आयु फिर से निर्धारित करने के लिए एक आवेदन निचली अदालत के समक्ष लंबित है।

XXX XXX XXX

कानून के साथ टकराव में एक बच्चे को जमानत देना एक नियम है और उसी की अस्वीकृति एक अपवाद है। अधिनियम की धारा 12 में यह उपबंध किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता या तत्समय किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 12 (1) के परन्तुक में विनिर्दिष्ट तीन आकस्मिकताओं को छोड़कर, विधि के विरोध में किसी बालक को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालयों ने इस हद तक अभिनिर्धारित किया है कि न तो अपराध की गंभीरता और न ही यह तथ्य कि सह-अभियुक्तों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, प्रार्थना को अस्वीकार करने का आधार है। नीचे दिए गए न्यायालय इसकी सराहना करने में विफल रहे हैं

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

कानून की कानूनी स्थिति जिसका इस न्यायालय द्वारा सीआरआर-862-2020 में अनुसरण किया गया है, जिसका शीर्षक है विशाल बनाम हरियाणा राज्य ने 27.05.2020 को निर्णय लिया और सीआरआर-962-2020 का शीर्षक संजीव बनाम हरियाणा राज्य ने 02.07.2020 को निर्णय लिया।

दलीलों के दौरान, प्रतिवादी न तो किसी सामग्री को दिखा सकते थे और न ही यह समझाने के लिए किसी सामग्री का उल्लेख कर सकते थे कि यदि याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो क्या वह नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे के संपर्क में आएगा या ज्ञात अपराधियों के संपर्क में आएगा। अभिलेख पर किसी भी सामग्री के बिना अभियोजन पक्ष की केवल आशंका जमानत देने की प्रार्थना को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। यह भी देखा जा सकता है कि यदि कोई किशोर दोषी पाया जाता है और दोषी ठहराया जाता है, तो अधिनियम की धारा 18 (1) (एफ) के तहत उसे विशेष गृह में खर्च करने का आदेश दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने एक वर्ष से अधिक समय तक कारावास में बिताया है, इसलिए याचिकाकर्ता को आगे हिरासत में रखने का कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

उपरोक्त चर्चा की अगली कड़ी के रूप में, पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है, प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड, रोहतक द्वारा पारित दिनांक 15.01.2021 के आक्षेपित आदेश के साथ-साथ अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रोहतक द्वारा पारित दिनांक 02.02.2021 के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

इस स्तर पर मामले के गुण-दोष पर ध्यान दिए बिना, याचिकाकर्ता को निचली अदालत/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/जमानत बांड पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया जाता है।“

(11) सीआरआर-962-2020 में संजीव बनाम हरियाणा राज्य के रूप में शीर्षक वाले मामले में इस न्यायालय की एक समन्वित पीठ ने 02.07.2020 को निर्णय लिया है:—

यहां पुनः प्रस्तुत किए गए प्रावधान के एक नंगे पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कानून के साथ संघर्ष करने वाले किशोर को जमानत देने से इनकार करने के लिए एक अपवाद बनाया गया है। उसके किसी ज्ञात अपराधी के साथ आने की संभावना है या जमानत पर रिहा होने पर ऐसे किशोर को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगा या किशोर की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी।

अल्ताफ बनाम केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़

(विकास बहल, जे.)

इस तरह के अपवाद को लागू करने के लिए, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कुछ सामग्री होनी चाहिए जिसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि वर्तमान मामले में किशोर की रिहाई अधिनियम की धारा 12 के तहत मान्यता प्राप्त अपवाद के अंतर्गत आएगी। अपीलीय न्यायालय द्वारा अनुलग्नक पी-1 में पारित दिनांक 13.5.2020 का आक्षेपित आदेश इस तरह के किसी भी तर्क से पूरी तरह से रहित है। आदेश में ऐसी कोई सामग्री/साक्ष्य नहीं दिया गया है। एफ. आई. आर. में उल्लिखित अपराध की गंभीरता अधिनियम की धारा 12 के आलोक में किशोर को जमानत की रियायत से इनकार करने का आधार नहीं होगी।

(12) उपर्युक्त निर्णय के अवलोकन से पता चलेगा कि अधिनियम की धारा 12 के तहत एक आवेदन में, जमानत नियम है और केवल उस स्थिति में जब अपीलार्थी अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित अपवादों में से किसी एक के तहत आता है, जमानत आवेदन को अस्वीकार किया जा सकता है।

(13) वर्तमान मामले में, कानून के साथ संघर्ष में बच्चे के लिए सामाजिक जांच रिपोर्ट के अवलोकन से, जिसे केंद्र शासित प्रदेश द्वारा दायर उत्तर के साथ अनुलग्नक आर 2 के रूप में संलग्न किया गया है, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का मामला किसी भी अपवाद के तहत नहीं आता है जिसका उल्लेख धारा 12 में किया गया है क्योंकि रिपोर्ट में इस आशय का कोई अवलोकन नहीं है कि याचिकाकर्ता किसी ज्ञात अपराधी के साथ जुड़ जाएगा या उक्त व्यक्ति को नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक खतरे में डाल देगा या याचिकाकर्ता की रिहाई न्याय के उद्देश्यों को विफल कर देगी, बल्कि, रिपोर्ट के अवलोकन से पता चलेगा कि याचिकाकर्ता पहले ही 11 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर चुका है और 12 वीं कक्षा में शामिल होने का इच्छुक है और उसका रवैया अनुकूल है और 28.09.2022 के आदेश के अवलोकन से पता चलेगा कि पैराग्राफ 6 में यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता एक किशोर छात्र था और बोर्ड उसे कुछ समय के लिए हिरासत में रखने का इरादा रखता है। दिनांक 28.09.2022 के आदेश के पारित होने के बाद 2 महीने से अधिक की अवधि बीत चुकी है। गुणदोष पर भी, याचिकाकर्ता के तर्क योग्य बिंदु हैं क्योंकि याचिकाकर्ता का नाम प्राथमिकी में नहीं था और उसे एक प्रकटीकरण बयान के आधार पर फंसाने की मांग की गई थी, जिसके अनुसरण में, तीन मोबाइल फोन बरामद किए गए थे, लेकिन अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार भी, हालांकि सेक्सटॉर्शनिस्ट रैकेट के संबंध में पूरे देश में 197 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, लेकिन जिन लोगों ने शिकायत की थी, उनमें से किसी ने भी मोबाइल नंबर का उल्लेख नहीं किया था जो याचिकाकर्ता से बरामद किए गए मोबाइल फोन से संबंधित हो सकते हैं। याचिकाकर्ता हरियाणा राज्य का निवासी है जबकि अन्य 15 आरोपी हैं -

आई.एल.आर. पंजाब और हरियाणा

राजस्थान के निवासी। याचिकाकर्ता 20.08.2022 से हिरासत में है और जांच पूरी हो गई है और चालान प्रस्तुत किया गया है और अभियोजन पक्ष के 20 गवाहों में से किसी की भी जांच नहीं की गई है और इस प्रकार, मुकदमे के समापन में समय लगने की संभावना है और याचिकाकर्ता किसी अन्य मामले में शामिल नहीं है।

(14) उपर्युक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान आपराधिक संशोधन की अनुमति दी गई है और पीएमजेजेबी, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 28.09.2022 को पारित आदेश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, चंडीगढ़ द्वारा दिनांक 15.10.2022 को पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और याचिकाकर्ता को संबंधित ट्रायल कोर्ट/ड्यूटी मजिस्ट्रेट/इलाखा मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए उसकी जमानत/जमानत बांड प्रस्तुत करने के अधीन जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है और बशर्ते कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो।

(15) हालांकि, ऊपर बताई गई किसी भी बात को मामले के गुणागुण पर राय की अंतिम अभिव्यक्ति के रूप में नहीं लिया जाएगा और निचली अदालत वर्तमान मामले में की गई टिप्पणियों से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ेगी जो केवल वर्तमान पुनरीक्षण याचिका पर निर्णय लेने के उद्देश्य से हैं।

(16) सभी लंबित विविध आवेदन, यदि कोई हों, उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए निपटाए जाएंगे।
रिपोर्टर-अंकित गरेवाल

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।



Advocate Megha Tak